न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा जिला बांसवाडा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः पवर्तसिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 53/2016
उनवान मुकदमा

1. लालेंग पिता स्व. श्री मोगजी डामोर जाति भील निवासी जाम्बुडोर, पटवार हल्का बोरखाबर तहसील आबापुरा जिला बांसवाडा (राज.)

वादी

बनाम

1. नरू पिता स्व. श्री मोगजी डामोर जाति भील निवासी गांव जाम्बुडोर पटवार हल्का बोरखाबर तहसील आबापुरा जिला बांसवाडा(राज)
2. चौखा पिता स्व. श्री मोगजी डामोर जाति भील निवासी गांव जाम्बुडोर पटवार हल्का बोरखाबर तहसील आबापुरा जिला बांसवाडा(राज)
3. श्रीमती देवली बेवा स्व. श्री मोगजी डामोर जाति भील निवासी गांव जाम्बुडोर पटवार हल्का बोरखाबर तहसील आबापुरा जिला बांसवाडा(राज)
4. तहसीलदार तहसील आंबापुरा

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 209 आर.टी.एक्ट

वादी वकील : श्री नन्दलाल पुरोहित
प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील श्री नानालाल चरपोटा

निर्णय

दिनांक :–31–08–2020

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88,,209 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है । प्रस्तुत वाद वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त का वर्तमान खाता संख्या 22 (नया), 21 (पुराना) के खसरा नम्बर 34 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 4.00 बीघा, खसरा नम्बर 82 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा ,खसरा नम्बर 352/2 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 353/2 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा कुल खेत 5, कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, कुल लगान 3.98 पैसा वाके ग्रम आबापुरा जाम्बुडोर ,पटवार क्षेत्र बोरखाबर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.) में स्थित है जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 3 तक अपने अपने भाग पर पूर्वज के समय से काबिज होकर कमाते चले आ रहे है एवं फसल प्राप्त कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे है। उक्त भूमि में वादी को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 1 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नम्बर 3 का 1/4 हिस्सा निहित है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी नंबर 1 लगायत 3 तक की पैत्रक कृषि भूमि है। प्रतिवादी नंबर 1 अथवा प्रतिवादी नंबर 2 व 3 की निजी कृषि भूमि नहीं है। उक्त कृषि भूमि पूर्व में वादी प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के पिता एवं प्रतिवादी नंबर 3 के पति यानि मूल पूरूष मोगजी पिता रंगजी डामोर भील निवासी ग्राम जाम्बुडोर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा के नाम राजस्व अभिलेख में खाते में दर्ज रेकार्ड रही एवं वादी व

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाबालिगान अवस्था में वादी के पिता मोगजी पिता रंगजी डामोर भील की मृत्यु हो गयी तब प्रतिवादी नंबर 3 ने राजस्व कर्मचारियों से मिल कर, उक्त कृषि भूमि को जरिये नामान्तकरण नंबर 21 दिनांक 19–01–1964 के द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 नरू पिता मोगजी भील नाबालिंग सरपरस्त श्रीमती देवली बेवा मोगजी के नाम से, वादी की बाल्यावस्था में गैरकानूनी तरीके से खाते में दर्ज करवाली और वादी का नाम एवं प्रतिवादी नंबर 2 का नाम दर्ज होने से रह गया। वादी के पिताजी के देहान्त के समय वादी नाबालिग था एवं वादी की जानकारी के बिना उक्त नामान्तरकरण एवं उसका अमल दरामद किया गया। उत्तराधिकारी का उक्त नामान्तरकरण स्व. मोगजी के वारसान की निष्पक्ष जांच किये बिना अकेले प्रतिवादी नंबर 1 के नाम से अकेला पुत्र होना बतला कर, गैरकानूनी रूप से कर दिया गया है। उक्त नामान्तरकरण नंबर 21 के कॉलम नंबर 14 में हल्का गिरदावर की रिपोर्ट में तिथि दिनांक 25–04–1963 दर्ज की गयी है जबकि इससे करीबन 8 माह की लम्बी अवधि के पश्चात उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा 19–01–1964 को स्वीकृत किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि, उक्त नामान्तरकरण बिना जांच किये, गैरकानूनी तरीके से खोला जाकर स्वीकृत किया गया है। जबकि स्व. मोगजी भील के वादी व प्रतिवादी नंबर 1 व 2 पुत्र व प्रतिवादी पत्नी होकर वारसान है। इस प्रकार उक्त नामान्तरकरण एवं उसका अमल दरामद गैरकानूनी होकर निरस्तनीय है एवं वादी के हितो के विपरीत होकर वादी उससे बाधित नही है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादी ने अपना नाम वर्तमान राजस्व अभियान में जुडवाने हेतु प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 तक को दिनांक 10–07–2016 को कहा तो प्रतिवादीगण बदल गये एवं कहने लगे कि, तेने एक खाते में कोर्ट से नाम जुडवा लिया है मबर इस खाते में तेरा नाम किसी किमत पर दर्ज नही होने देगे एवं प्रतिवादी नंबर 1, 2 व 3 ने धमकिया दी कि, यदि तुने खेतो को नही छोडा तो तेरे को जान से मार देगें, हमारा कुछ नहीं बिगडेगा। वादी ने दिनांक 17–07–2016 को गांव भांगजडा भी करवाया परन्तु प्रतिवादीगण उक्त खाते में वादी का नाम जुडवाने से साफ बदल गये एवं वादी व उसके परिवार को खेत पर आने पर जान से मार दने की धमकिया देने लगे। इस कारण यह वाद पत्र लाना आवश्यक हुआ है।

प्रतिवादी नंबर 1, 2, 3 अनावश्यक विवाद कर रहे है एवं वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व अभिलेख में वादी का नाम दर्ज कराने से मना कर रहे है एवं धमकिया दे रहे है। वादी राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 88 के तहत खातेदारी घोषणा का कानूनन पात्र है। वादी का प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है। वाद का व्यवहार कारण दिनांक 10–07–2016 को प्रतिवादीगण नंबर 1, 2 व 3 के द्वारा वादी का नाम जुडवाने का कहने पर विवाद करने एवं डराने धमकान से दिनांक 17–07–2016 को गांव वालो के द्वारा समझाने पर भी नही मानने से एवं झगडा करने व धमकिया देने से एवं दिनांक 22–07–2016 को हल्का पटवारी बोरखाबर द्वारा न्यायालय में वाद पत्र दाखिल करने की हिदायत दिये जाने से न्यायालय परिसीमा में उत्पन्न हुवा है।

खाता संख्या 22 (नया), 21 (पुराना) के खसरा नम्बर 34 रकबा 4.02 बीघा, खसरा नम्बर 77 रकबा 4.00 बीघा, खसरा नम्बर 82 रकबा 2 बीघा 06 बिस्वा ,खसरा नम्बर 352/2 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 353/2 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा कुल खेत 5, कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा, कुल लगान 3.98 पैसा वाके ग्रम आबापुरा जाम्बुडोर ,पटवार क्षेत्र बोरखाबर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा (राज.) में

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

से वादी को 1/4 भाग का खातेदार कृषक घोषित किया जावे और वादी का नाम राजस्व अभिलेख में 1/4 भाग में खातेदारी में दर्ज किया जावे। उक्त खाते के सम्बन्ध में किया गया नामान्तरकरण नंबर 21 दिनांक 19–01–1964 एवं उसका अमल दरामद एवं प्रतिवादीगण नंबर 1 से 3 के हक में की गयी अन्य प्रविष्टिया विधि विरूद्ध व गैर कानूनी होने से निरस्त की जाकर राजस्व रिकार्ड की शुद्धि की जावे। वाद व्यय व वकील मेहनताना दिलाया जावे। अन्य न्यायोचित दादरसी धारा 209 आर टी एक्ट के तहत जो उचित हो वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान की जावे।

फर्द दस्तावेज में नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073, जमाबन्दी संवत 2069–2072, नामान्तरकरण संख्या 29 दिनांक 19–01–64, जमाबन्दी संवत 2049–2052, जमाबन्दी संवत 2025–2028 प्रस्तुत किये है।

दिनांक 25.02.2020 को वादी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 जा0 दिवानी प्रस्तुत हुआ जिसमें प्रतिवादीया देवली पत्नि मोगजी जाति भील निवासी ग्राम जाम्बुडोर, तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा का स्वर्गवास करीबन डेढ माह पूर्व हो चुका है। मृतक देवली के विधिक वारिसान वादी लालेंग व प्रतिवादी नंबर एक नरू व प्रतिवादी नंबर दो चौखा पिता मोगजी एक मात्र है। उक्त दोनों पहले से ही वाद पत्र में पक्षकार है। मृतक देवली पत्नि मोगजी के उपरोक्त वादी एंव प्रतिवादीगण नंबर एक व दो को वारिसान माने जावे।

दिनांक 18–08–2020 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की ओर से श्री नानालाल चरपोटा अभिभाषक का वकालातनामा प्रस्तुत किया गया। वादी पीडब्ल्यू–1 लालेंग पिता मोगजी के बयान लिये गये । प्रतिवादी डीडब्ल्यू–1 नरू पिता मोगजी के बयान लिये गये । वादी की श्री नन्दलाल पुरोहित एडवोकेट ने पहचान की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की श्री नानालाल चरपोटा एडवोकेट ने पहचान की गई। प्रार्थना पत्र दिनांक 25–02–2020 को सुना गया। जिसे स्वीकार किया गया।

पीडब्ल्यू–1 लालेंग पिता मोगजी जाति भील निवासी जाम्बुडोर पटवार हल्का बोरखाबर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा ने दिनांक 18–08–2020 को अपने बयान में बताया कि मेरे और मेर भाई नरू पिता मोगजी, चौखा पिता मोगजी, देवली बेवा मोगजी के संयुक्त खाते की कृषि भूमि खसरा नम्बर 34, 77, 82, 352/2, 353/2 कुल खेत 5 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम जाम्बुडोर तहसील आंबापुरा में स्थित है। उक्त खाते पर हम तीनों भाई काबीज है। मेरी मा देवली की मृत्यू हो चुकी है। इसके वारीस हम तीनों भाई है। हमारी कोई बहन नही है। उक्त खाते में मेरा व चौखा पिता मोगजी का नाम जोडा जावे तथा प्रत्येक का 1/3 हिस्सा दर्ज किया जावे। मैने दावे के साथ प्रत्येक जमाबन्दी सम्वत 2069 से 72 प्रदर्श–1, नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 19–01–64 प्रदर्श–2 एवं जमाबन्दी संम्वत 2049 से 52 प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 2025 से 2028 प्रदर्श–4 प्रस्तुत की है। हमारे भाईयों में आपस में राजीनामा हो चुका है। सभी भाईयों का नाम उक्त खाते में दर्ज किया जावे।

डीडब्ल्यू–1 नरू पिता मोगजी जाति भील निवासी जाम्बुडोर पटवार हल्का बोरखाबर तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा ने दिनांक 18–08–2020 को अपने बयान में बताया कि मेरे भाई लालंग व चौखा पिता मोगजी व देवली बेवा मोगजी के शामलाती खाते की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 34, 77, 82, 352/2, 353/2 कुल खेत 5 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम जाम्बुडोर तहसील आंबापुरा में स्थित है।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

उक्त खाता मेरे पिता मोगजी के मरने के बाद मेरे नाम दर्ज गलती से हो गया है। जबकि हम तीनों भाई काबिज है। और मेरी माता देवली बेवा मोगजी की मृत्यू हो चुकी है। हम तीनों भाई लालेग, चौखा और मैं वारीस है। हमारी कोई बहन नही है। उक्त खाते में मेरे भाई लालेग पिता मोगजी व चौखा पिता मोगजी का नाम जुड जाता है तो मुझै कोई आपत्ति नही है। हम सभी भाईयों का बराबर–बराबर हिस्सा है।

दिनांक 31–08–2020 को वाद पत्र अन्तर्गत राजीनामा में लालेंग पिता श्री मोगजी एवं प्रतिवादीगण नरू पिता मोगजी व चौखा पिता मोगजी जाति भीलान निवासीयान जाम्बुडोर तहसील आबापुरा जिला बांसवाड़ा के होकर आपस में निम्न प्रकार राजीनामा प्रस्तुत किया है। जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 व 2 नरू व चौखा के संयुक्त खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि आराजी नम्बर 34, 77, 82, 352/2, 353/2 कुल खेत 5 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम जाम्बुडोर तहसील आंबापुरा में स्थित है। जिस पर हम तीनों ही भाई सयुक्त रूप से बराबर हिस्से से 1/3 पर प्रत्येक काबिज है। परन्तु हमारे पिता श्री मोगजी की मृत्यु के बाद उक्त खाते के खेत नरू पिता मोगजी के नाम से दर्ज हो गये और लालेंग पिता मोगजी व चौखा पिता मोगजी का नाम गलती से दर्ज नही हुआ है इसलिए हम वादी और प्रतिवादीगण राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन करते है उक्त खाते में लालेंग पिता मोगजी व चौखा पिता मोगजी का नाम दर्ज किया जावे जिसमें नरू पिता मोगजी कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त राजीनामा तस्दीक किया जाकर समझौता डिक्री पारित किये जाने के आदेश फरमाने निवेदन किया।

दिनांक 31–08–2020 को बहस सुनी गई। वादी के वकील श्री नन्दलाल पुरोहित ने अपने कथन में बताया कि प्रदर्श–2 दिनांक 18–08–2020 ग्राम लालाआडा तहसील बांसवाड़ा नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 19–01–64 में कृषक मोगजी पिता रंगजी डामोर भील कुल खेत 5 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा खातेदार की मृत्यु होने से उसका पुत्र नरू सरपरस्त देवली बैवा मोगजी उत्तराधिकारी होने से उक्त खाता श्री नरू के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2069–72 ग्राम जाम्बुडोर पटवार क्षेत्र बोरखाबर तहसील आंबापुरा, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2049–2052 ग्राम लालाआडा पटवार क्षेत्र बोरखाबर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सालिया तहसील बांसवाड़ा, प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 तक ग्राम लालाआडा तहसील बांसवाड़ा में कुल खेत 5 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा पर नरू पिता मोगजी भील साकिन खातेदार है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 18–08–2020 को दिये गये अपने बयानों में जाहिर किया कि हम तीनो भाई है। हम सभी भाईयों का बराबर हिस्सा है। जिसमें नरू पिता मोगजी को काई आपत्ति नही है। उक्त खाते में लालेग पिता मोगजी व चौखा पिता मोगजी का नाम जुड जाता है तो नरू पिता मोगजी को आपत्ति नही है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के वकील श्री नानालाल चरपोटा ने भी अपने कथन में बताया कि वादग्रस्त भूमि नरू पिता मोगजी के नाम गलती चढ गई है। उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड अनुसार पैतृक है। तीनों सगे भाई है। तीनों भाईयों का नाम खाते में संयुक्त रूप से दर्ज किया जावे।

पत्रावली व पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, बयान, राजीनामा तथा प्रदर्श किये गये दस्तावेजों की गहनता से जांच एवं वकुलाय की बहस पर गहनता से अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड ग्राम लालाआडा तहसील बांसवाड़ा नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 19–01–64 में कृषक मोगजी पिता रंगजी डामोर भील कुल खेत 5

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा खातेदार की मृत्यु होने से उसका पुत्र नरू सरपरस्त देवली बैवा मोगजी उत्तराधिकारी होने से उक्त खाता श्री नरू के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई। तद्अनुसार जमाबन्दी सम्वत प्रदर्श–1 जमाबन्दी संवत 2069–72 ग्राम जाम्बुडोर पटवार क्षेत्र बोरखाबर तहसील आंबापुरा, प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत 2049–2052 ग्राम लालाआडा पटवार क्षेत्र बोरखाबर भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सालिया तहसील बांसवाड़ा, प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत 2025 से 2028 तक ग्राम लालाआडा तहसील बांसवाड़ा में कुल खेत 5 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा पर नरू पिता मोगजी भील साकिन खातेदार का नाम दर्ज है। वाद पत्र, बयान दिनांक 18–08–2020 अनुसार एवं दस्तावेजों अनुसार वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 सगे भाई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से उक्त नामान्तकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 नाम जोडा जाना चाहिये था। जो कि नही जोडा गया। परिवार के एक व्यक्ति का नाम कृषि भूमि के खाते में खातेदार के रूप में नाम जोडा जाकर अन्य का नाम छोडा जाना गलती है। अतः उक्त नामान्तरण को निरस्त किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक पाये जाने से वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम जोडा जाना उचित पाया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रथम दृष्टया वादी का वाद स्वीकार किया जाता है । नामान्तकरण संख्या 29 दिनांक 19–01–64 में कृषक मोगजी पिता रंगजी डामोर भील कुल खेत 5 रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा में खातेदार की मृत्यु होने से उसका पुत्र नरू सरपरस्त देवली बैवा मोगजी उत्तराधिकारी होने से उक्त खाता श्री नरू के नाम किये गये को निरस्त किया जाता है। जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 के आराजी नम्बर 34, 77, 82, 352/2, 353/2 क्रमशः रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 4 बीघा, 2 बीघा 6 बिस्वा, 3 बीघा 5 बिस्वा, 6 बीघा 5 बिस्वा कुल खेत 5 कुल रकबा 19 बीघा 18 बिस्वा लगान 3.98 वाके ग्राम जाम्बुडोर पटवार हल्का बोरखाबर भू अभिलेख निरीक्षक बरवाला राजीया तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा में नरू पिता मोगजी के साथ लालेंग पिता मोगजी, चौखा पिता मोगजी को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्अनुसार तहसीलदार तहसील आंबापुरा राजस्व रकार्ड में अमल दरामद करे।

आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 31–08–2020 को सुनाया गया।

(पर्वतसिंह चुण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)